

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश स्थित सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहयोग से विदेश मंत्रालय सभी नागरिकों को समयबद्ध, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने की नई प्रतिबद्धता के साथ इस अवसर को मना रहा है।


वर्ष 2018 में पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है। भारत और विदेशों में 1.24 करोड़ से भी अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप और देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर पाने वाली योजना ने इस प्रक्रिया में योगदान किया है। हम पासपोर्ट नियमों को और सरल बनाने तथा पासपोर्ट सेवाओं को हमारे नागरिकों के और करीब पहुँचाने के लिए अपने आउटरीच प्रयासों को निरंतर बढ़ाने के दोहरे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

आज की तारीख में 93 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) तथा 412 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 505 पीएसके जनता के लिए सेवारत हैं। हम डाक विभाग के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते रहे हैं ताकि देश के दूर-दराज इलाकों में नए पीओपीएसके स्थापित करके पासपोर्ट सेवाओं को लोगों के करीब लाया जा सके। इन पीओपीएसके पर प्रतिदिन 18,500 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है। इस पहल की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2017 में इन पीओपीएसके की स्थापना के बाद से लगभग 3 मिलियन पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को सरल किया गया है और इसे नागरिक-अनुकूल बनाया गया है। विदेश मंत्रालय तथा राज्य पुलिस प्राधिकारियों के ठोस प्रयासों से पुलिस सत्यापन के औसत समय को कम करके 19 दिन कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया; बहरीन; कनाडा; कुवैत; मलेशिया; ओमान; कतर; सऊदी अरब; सिंगापुर; श्रीलंका; थाईलैंड; संयुक्त अरब अमीरात; यूनाइटेड किंगडम तथा अमरीका स्थित हमारे मिशनों/केन्द्रों में पासपोर्ट जारीकरण प्रणाली को सफलतापूर्वक पासपोर्ट सेवा परियोजना में एकीकृत कर दिया है। इससे हम विदेश में रह रहे हमारे प्रवासियों को अधिक प्रभावी तरीके से पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं।

में भारत और विदेश में हमारे सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे हमारी सरकार के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" को ध्यान में रखते हुए शासन प्रणाली के कार्य निष्पादन, पारदर्शिता और सेवा प्रदाय को और विस्तृत करते रहने के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करें।


(सु. जयशंकर)